

269/25



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

क्रमांक- 931

दिनांक:- 11/10/25

"ग्रामीण सेवा शिविर"

कैम्प कोर्ट.....सोप

2 025/358

कांतिचंद मीना बनाम.....सरकार

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 11.10.2025

पटवारी हल्का .....सोप....., भू अभिलेख निरीक्षक.....श.ए.ए. की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम .....सोप.....के खाता संख्या.....50..... में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

518  
459

क्र.सं.	राजस्व नाम	ग्राम	का	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.		सोप		50	-	कांतिलाल	कांतिचंद	-
02.				518	-	मीना	मीना	
03.				459	-			
04.								

उपखण्ड अधिकारी  
नादौती

कैम्प कोर्ट.....सोप.....

क्रमांक:- 932-934

दिनांक:- 11/10/2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
02. पटवारी, पटवार हल्का.....सोप.....।
03. प्रार्थी.....कांतिचंद मीना.....।

उपखण्ड अधिकारी  
नादौती

